

पंचायत आम निर्वाचन- 2021
अति महत्वपूर्ण



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या-प0नि0 30-160/2021.....3438
प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।
सेवा में,
जिला पदाधिकारी-सह-जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
सारण।

पटना, दिनांक-2-9-21

विषय :- पंचायत आम निर्वाचन, 2021 सहायक मतदान केन्द्रों में संशोधन करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-980/प0 दिनांक- 23.08.2021
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि अमनौर प्रखंड के सहायक मतदान केन्द्र संख्या-46(क), 77(क), 127(क), 218(क), 225(क), 229(क), 246(क), 248(क), 252(क) तथा 262(क) के कुल दस (10) मतदान केन्द्रों में मतदाताओं की संख्या 850 से कम रहने के कारण विलोपित करने के प्रस्ताव पर आयोग की स्वीकृति दी जाती है।

2. मतदान केन्द्रों की सूची बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-27 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नियम-8 के उप नियम (1) में विहित रीति से प्रकाशित की जाए तथा उसकी सूचना आयोग को दी जाए।

विश्वासभाजन

सचिव।

ज्ञापांक-3438/-

पटना, दिनांक-2-9-21/-

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करे।

सचिव।

ज्ञापांक-3438/-

पटना, दिनांक-2-9-21/-

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक-3438/-

पटना, दिनांक-2-9-21/-

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव।

समाहरणालय सारण (जिला पंचायत शाखा) छपरा।

प्रपत्र-2

[नियम 2 (ब) के अधीन]

आयोग के अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली विलोपित सहायक मतदान केन्द्रों की सूची

जिला का नाम-सारण		प्रखंड-अमनौर									
पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र की सं०	पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधन का कारण / औचित्य	मतदान केन्द्र का विस्तार (प्रा०नि०क्षे०सं० 0.....से.....)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की सं० (को०.....तक)	भवन सरकारी / अर्द्धसरकारी है अथवा नहीं	भवन में कुल कमरों की संख्या	मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिये मतदाता द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी	प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्भय होकर मतदान कर सकते हैं अथवा नहीं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46 क	मध्य विधालय अमनौर अग्रवान बालक पुरबारी पट्टी पुरब भाग	मध्य विधालय अमनौर अग्रवान बालक पुरबारी पट्टी प० भाग ,क	मतदाता की संख्या 850 से कम होने के कारण	1	-	-	-	-	-	-	विलोपित (मतदाताओं कि सं० 850 से कम होने के कारण विलोपित करने हेतु अनुशंसा की जाती हैं)
77 क	प्राथमिक विधालय दोरलाही कैथल	प्राथमिक विधालय दोरलाही कैथल ,क	मतदाता की संख्या 850 से कम होने के कारण	4	-	-	-	-	-	-	विलोपित (मतदाताओं कि सं० 850 से कम होने के कारण विलोपित करने हेतु अनुशंसा की जाती हैं)
127 क	अनैपचारिक शिक्षा केन्द्र भवन रहिमपुर	अनैपचारिक शिक्षा केन्द्र भवन रहिमपुर ,क	मतदाता की संख्या 850 से कम होने के कारण	10	-	-	-	-	-	-	विलोपित (मतदाताओं कि सं० 850 से कम होने के कारण विलोपित करने हेतु अनुशंसा की जाती हैं)
218 क	मलाही विकास भवन पुरब भाग	मलाही विकास भवन प०भाग ,क	मतदाता की संख्या 850 से कम होने के कारण	1	-	-	-	-	-	-	विलोपित (मतदाताओं कि सं० 850 से कम होने के कारण विलोपित करने हेतु अनुशंसा की जाती हैं)

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

225 क	कन्या प्राथमिक वि०चैनपुर	कन्या प्राथमिक वि०चैनपुर, क	मतदाता की संख्या 850 से कम होने के कारण	8	-	-	-	-	-	-	-	विलोपित (मतदाताओं कि सं० 850 से कम होने के कारण विलोपित करने हेतु अनुशंसा की जाती है)
229 क	उत्क्रमित मध्य विधालय नया भवन पुरब भाग	उत्क्रमित मध्य विधालय नया भवन प० भाग, क	मतदाता की संख्या 850 से कम होने के कारण	14	-	-	-	-	-	-	-	विलोपित (मतदाताओं कि सं० 850 से कम होने के कारण विलोपित करने हेतु अनुशंसा की जाती है)
246 क	प्राथमिक विधालय सिरसाबलि पुरब भाग	प्राथमिक विधालय सिरसाबलि प० भाग, क	मतदाता की संख्या 850 से कम होने के कारण	14	-	-	-	-	-	-	-	विलोपित (मतदाताओं कि सं० 850 से कम होने के कारण विलोपित करने हेतु अनुशंसा की जाती है)
248 क	प्रथमिक विधालय आदमापुर	प्रथमिक विधालय आदमापुर, क	मतदाता की संख्या 850 से कम होने के कारण	1	-	-	-	-	-	-	-	विलोपित (मतदाताओं कि सं० 850 से कम होने के कारण विलोपित करने हेतु अनुशंसा की जाती है)
252 क	मध्य विधालय देववलिया पुरब भाग	मध्य विधालय देववलिया प०भाग, क	मतदाता की संख्या 850 से कम होने के कारण	4	-	-	-	-	-	-	-	विलोपित (मतदाताओं कि सं० 850 से कम होने के कारण विलोपित करने हेतु अनुशंसा की जाती है)
262 क	प्रा०वि०सरायबक्स मठिया	प्रा०वि०सरायबक्स मठिया, क	मतदाता की संख्या 850 से कम होने के कारण	15	-	-	-	-	-	-	-	विलोपित (मतदाताओं कि सं० 850 से कम होने के कारण विलोपित करने हेतु अनुशंसा की जाती है)

प्रमाणित किया जाता है कि मतदान केन्द्रों का चयन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में किया गया है। सभी मतदान केन्द्र पंचायत क्षेत्र में अवस्थित हैं तथा कोई मतदान केन्द्र निजी अथवा धार्मिक स्थल पर स्थापित नहीं किया गया है। चलित मतदान केन्द्र की स्थापना उक्त क्षेत्र में सरकारी/अर्द्धसरकारी भवन उपलब्ध नहीं रहने के कारण की गई है।

जिला पंचायत के पदाधिकारी द्वारा

सह-

उप निर्वाचन पदाधिकारी (प०)

साराण, छपरा।

सह-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (प०)

साराण, छपरा।

उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार